

भारत में उपकर और अधभार संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लिये:

[16 वें वित्त आयोग](#), [उपकर](#), [अधभार](#), [आयकर](#), [भारत की संचति नधि](#), [वस्तु और सेवा कर](#), [करों का वभिज्य पूल](#), [राज्य सूची](#)

मेन्स के लिये:

भारतीय कराधान प्रणाली, राजकोषीय संघवाद, सरकारी राजस्व संग्रह में चुनौतियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[16 वें वित्त आयोग](#) के अध्यक्ष अरवदि पनगढ़िया ने हाल ही में केंद्र की [उपकरों](#) और [अधभारों](#) पर बढ़ती नरिभरता के मुद्दे को "जटलि मुद्दा" बताया।

उपकर और अधभार क्या हैं?

- **उपकर:** उपकर एक प्रकार का कर है जो किसी वशिष्ट उद्देश्य के लिये लगाया जाता है। यह कर पर कर है, जो [उत्पाद शुल्क](#) या [आयकर](#) जैसे मौजूदा कर के अतिरिक्त लगाया जाता है, तथा प्राप्त राजस्व को किसी **वशिष्ट उपयोग के लिये नरिधारित** किया जाता है।
 - उपकर आमतौर पर एक **वशिष्ट समयावधि** के लिये लगाया जाता है, या जब तक सरकार नरिदष्टि उद्देश्य के लिये पर्याप्त धनराशि एकत्र नहीं कर लेती।
 - **80 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 270** को औपचारिक रूप से संशोधित किया गया, तथा उपकरों और अधभारों को स्पष्ट रूप से **सेवभिज्य पूल** से बाहर कर दिया गया (उपकरों से प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता)।
 - उपकरों को संविधान में **अनुच्छेद 277** और **अनुच्छेद 270** (जो संघ और राज्यों के बीच राजस्व-साझाकरण ढाँचे को रेखांकित करता है) के तहत मान्यता दी गई है।
 - **उदाहरण:** शिक्षा उपकर (प्राथमिक शिक्षा के वित्तपोषण के लिये), **स्वच्छ भारत उपकर** (स्वच्छता पहल के लिये), और **ईंधन उपकर** (सड़क विकास के लिये)।
- **अधभार:** अधभार मौजूदा शुल्कों या करों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर या लेवी है। यह अनिवार्य रूप से "कर पर कर" है और भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 270 और 271](#) के तहत इसकी चर्चा की गई है।
 - अधभार प्रायः उन व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य करदाताओं पर लगाया जाता है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। **अधभार की दर आय स्तर के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।**
 - इन्हें प्रगतिशील बनाने के लिये डिजाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक आय वाले लोग अधिक योगदान दें, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले और आय असमानता कम हो।
 - अधभार वशिष्ट रूप से उच्च आय वाले या कुछ क्षेत्रों में उन व्यक्तियों या संस्थाओं की कुल कर देयता को बढ़ा देता है जो पहले से ही कर के अधीन हैं।
 - अधभार से एकत्रित धनराशि सरकार के सामान्य कोष में जाती है और इसका उपयोग वभिन्न परियोजनाओं के लिये किया जा सकता है, जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और अन्य सरकारी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिये।
 - **13 वें और 14 वें वित्त आयोग** ने वभिज्य पूल से अधभार को बाहर रखने का समर्थन किया; इन शुल्कों पर केंद्र की नरिभरता कम करने की सफारिश की।
- **उपकर बनाम अधभार:** उपकर और अधभार दोनों [भारत की संचति नधि \(CFI\)](#) में जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग-अलग होता है। अधभार को अन्य करों की तरह व्यय किया जाता है, जबकि उपकर को अलग से आवंटित किया जाना चाहिये और केवल अपने वशिष्ट उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाना चाहिये।

उपकर और अधभार के संबंध में चर्चाएँ क्या हैं?

- **केंद्र की राजकोषीय बाधाएँ:** वभाज्य कर पूल में राज्यों की हस्तिसेदारी 13 वें वित्त आयोग के तहत 32% से बढ़कर 14 वें वित्त आयोग के तहत 42% और 15 वें वित्त आयोग के तहत 41% हो जाने से केंद्र की राजकोषीय क्षमता कम हो गई है।
 - इसके प्रतिसंतुलन के लिये, केंद्र सरकार उपकरों और अधभारों पर अधिक निर्भर हो रही है, जनिहें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।
 - मूलतः **अस्थायी उपाय** के रूप में **परकिलपति अधभार और उपकर भारत की कर प्रणाली में स्थायी प्रावधान** बन गए हैं, जिससे राजकोषीय संघवाद पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।
- **राज्यों की चिंताएँ:** उपकर और अधभार वर्ष 2011-12 में 10.4% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 20% हो गए। यह प्रवृत्ति प्रभावी रूप से राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले करों के पूल को कम करती है, उनके राजकोषीय लचीलेपन को सीमित करती है और **राजकोषीय संघवाद** की भावना को कमजोर करती है।
 - राज्यों ने लगातार उपकरों और अधभारों पर सीमा लगाने तथा अधिक राजस्व वितरण सुनिश्चित करने के लिये किसी भी अतिरिक्त संग्रह को वभाज्य पूल में शामिल करने की मांग की है।
 - यह मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच **शक्ति और वित्तीय स्वायत्तता के बीच संतुलन** की चुनौती को रेखांकित करता है, जिससे राज्यों की महत्वपूर्ण कार्यक्रमाें को वित्तपोषित करने और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है।
- **पारदर्शिता और अस्पष्टता का अभाव:** चूँकि उपकर वशिष्ट उद्देश्यों के लिये एकत्र किये जाते हैं, इसलिये वे कर राजस्व के आवंटन और वितरण में पारदर्शिता को कम करते हैं।
 - राज्यों का तर्क है कि कराधान की यह पद्धति न्यायसंगत राजस्व बंटवारे के सिद्धांतों को दरकिनार कर देती है।
 - **स्वच्छ भारत और कृषकल्याण उपकर** जैसे कई उपकर सामान्य करों की तरह संसदीय नगिरानी के अधीन नहीं हैं।
 - उपकर से प्राप्त आय के उपयोग में वसिंतगति हैं। उदाहरण के लिये, **अनुसंधान एवं विकास उपकर** का उपयोग आंशिक रूप से केंद्र सरकार के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये किया गया (न कि इसके लक्षित उद्देश्य हेतु)।
- **असमान कराधान:** उपकर एवं अधभार से समाज का धनी वर्ग असमान रूप से प्रभावित (क्योंकि ये प्राथमिक योगदानकर्त्ता होते हैं) होता है।
 - आलोचकों का तर्क है कि इससे नषिपक्षता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होने के साथ धनी लोग तथा व्यवसाय अधिक कर-अनुकूल देशों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं।

करों का वभाज्य पूल क्या है?

- **करों के वभाज्य पूल का आशय केंद्र** सरकार द्वारा एकत्रित कुल कर राजस्व के उस हिस्से से है जिसे भारत में राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
 - यह राजकोषीय संघवाद का एक प्रमुख घटक है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र एवं राज्य को अपने-अपने कार्यों हेतु संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो।
- **प्रमुख वशिष्टाएँ:**
 - **कर:** वभाज्य पूल में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर (**नगिम कर, व्यक्तिगत आयकर और वस्तु एवं सेवा कर**) शामिल होते हैं।
 - **वित्त आयोग:** वभाज्य पूल का वितरण **वित्त आयोग** (जिसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है) की सिफारिशों पर आधारित होता है।
 - वित्त आयोग संघ एवं राज्य के लिये इसमें प्रतशित हस्तिसेदारी का सुझाव देता है।
 - 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिये केंद्रीय करों के वभाज्य पूल का 41% प्राप्त हो।
 - **ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज अंतरण:**
 - **ऊर्ध्वाधर अंतरण (Vertical Devolution):** इसका आशय संघ एवं राज्यों के बीच आवंटित वभाज्य पूल के अनुपात से है।
 - **क्षैतिज हस्तांतरण:** इसका तात्पर्य वभाज्य पूल में से राज्यों को वितरित धन (जो जनसंख्या, आय असमानता एवं कर प्रयासों जैसे कारकों पर आधारित होता है) से है।
- **उपकर और अधभार को अलग रखना:** संघ द्वारा लगाए गए उपकर एवं अधभार को वभाज्य पूल से अलग रखा गया है।



वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित) - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- कार्यकाल: जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है
- पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

○ पहला वित्त आयोग (1952-57)

- अध्यक्ष- के. सी. नयोगी

○ दूसरा वित्त आयोग (1957-62)

- अध्यक्ष- के. संथानम

○ पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)

- अध्यक्ष- एन.के. सिंह

○ राज्य वित्त आयोग

- राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में गठित (अनुच्छेद 243)
- पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अनुदान का निर्धारण
- राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।



उपकर और अधभार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ

- **અધભિાર:**

- **जर्मनी:** एकजुटता अधिभार 1991 में जर्मन के एकीकरण और खाड़ी युद्ध के अपव्ययों को पूरा करने के लिये आरंभ किया गया था। शुरू में यह अस्थायी था, लेकिन वर्ष 1995 में इसे पुनः शुरू किया गया जो आज भी जारी है।
- **फ्रांस:** राजकोषीय चुनौतियों से निपटने के लिये अस्थायी रूप से अधिभार लगाया गया।

- उपकर:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अलबामा जैसे राज्य वशिष्ट उद्देश्यों के लिये पर्याप्त कर राजस्व निर्धारित करते हैं।

■ **ऑस्ट्रेलिया: मेडकिंगर लेवी (वर्ष 1984 में आरंभ हुई)** चकितिसा सहायता हेतु नधिपिरदान करने के लिये एक व्यक्तगित आयकर है। अन्य अस्थायी कर, जैसे कि बंदूक वापस खरीदना और एनसेट टिकिट लेवी, अल्पकालिक रहे हैं, जो कुल राजस्व में न्यूनतम योगदान देते हैं।

- ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक संरचना निर्धारित करों के सुसंगत उपयोग को सीमित करती है।

उपकर और अधभार से संबंधित चर्चाओं को दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- उपकर:

- **अधरिषण:** केंद्र सरकार को राजसूची के अंतरगत आने वाले मुद्दों, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पर उपकर लगाने से बचना चाहिये, क्योंकि यह संघीय सविधानों को कमजोर करता है।
 - उपकर संग्रहण की एक अधिकतम सीमा निर्धारित करना और उससे अधिक संग्रहण से बचना।
- **पारदर्शिता:** नधियों का स्पष्ट आवंटन और उपकर संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। उपकरणों की प्रभावशीलता और आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिये एक संरचित, आवधिक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
 - यदि दुपुयोग होता है, तो उपकर नधिको सामान्य कर में हस्तांतरित कर दिया जाए तथा वित्त आयोग की सफारिशों के आधार पर राज्यों को हिससा दिया जाए।
- **उन्मूलन:** ऐसे उपकर, जो बहुत कम राजस्व उत्पन्न करते हैं, उन्हें समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से अकुशल हैं तथा करों की जटिलता को बढ़ाते हैं।
 - अधिकतम 5 वर्षों के लिये उपकर लगाना, एक संभावित वसितार के साथ, जिसके बाद उन्हें समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। अनिशचित काल तक जारी रहने को सीमिति करने के लिये उपकर कानून में समापक खंड शामिल करना।

■ **અધભિાર:**

- **आयकर का युक्तिकरण:** अधभारि परायः प्रगतशील आयकर हेतु एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं। इसे आयकर संरचना को ही युक्तिसंगत बनाकर, बजाय अधभारि जोड़े वशिष्टः उच्च आय स्लैब पर, संबोधति कथि जा सकता है, ।
- **अधभारि की अस्थायी प्रकृति:** अधभारि को अस्थायी बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल वित्तीय संकट के दौरान कथि जा सकता है, तथा उनके सतत उपयोग को रोकने के लयि समापक खंड लगाया जा सकता है, तथा वे स्थायी कर साधन बन सकते हैं।

नषिक्कृष

भारत में उपकरणों तथा अधिभारों पर निर्भरता से कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को बढ़ावा मिला है। इनके उपयोग को सीमित करने तथा इस क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ावा देने हेतु स्पष्ट दश-निर्देशों के साथ समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता है। अधिभारों का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्र में जवाबदेहिता को बढ़ावा देना चाहिये।

????? ???? ???? ?????:

परश्न: उपकरोँ एवं अधभारोँ पर केंदर सरकार की बढ़ती नरिभरता तथा भारत में राजकोषीय संघवाद पर इसके परभावोँ की चरचा कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. निम्नलिखित पर वचार कीजिये: (2023)

1. जनांककीय नषिपादन
2. वन और पारस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थरि सरकार
5. कर एवं राजकोषीय परयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लयि पंदरहवें वतित आयोग ने उपरयुक्त में से कतिने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा नकिष के रूप में परयुक्त कयि?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

?????:

पर. 13वें वतित आयोग की उन सफिरशिों पर चर्चा कीजयि जो स्थानीय सरकार के वतित को मजबूत करने हेतु पछिले आयोगों से अलग हैं। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/concerns-over-cess-and-surcharges-in-india>

